



परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/39/एसयूपी-सीजीएसजी/01

दिनांक 09.07.2026

सेवा में :

सभी एनपीएस हितधारक

विषय : केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के अंतर्गत निवेश चयन विकल्पों में वृद्धि के सन्दर्भ में

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.11.2025 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एफएक्स-4/2/2025-पीआर के अनुसरण में, पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 01.12.2025 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2025/21/आरईजी-पीएफ/03 के माध्यम से केंद्र सरकार (सीजी) के अभिदाताओं के सम्बन्ध में निवेश चयन विकल्पों के विस्तार को अधिसूचित किया गया था।
- इसी प्रकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन फा.सं. 1(3)/ईवी/2020 के अनुसरण में, पीएफआरडीए एतद्वारा सीएबी अभिदाताओं के सम्बन्ध में एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा निवेश चयन विकल्पों के विस्तार को अधिसूचित करता है। दो अतिरिक्त 'ऑटो निवेश चयन विकल्प' की शुरुआत की गई है, जिससे सीएबी अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कुल विकल्पों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

3. वर्तमान में सीएबी अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित निवेश चयन विकल्प उपलब्ध हैं:

एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा निवेश चयन विकल्प	विवरण
डिफॉल्ट स्कीम	अंशदान का निवेश तीन पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित पूर्वनिर्धारित आस्ति आवंटन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
एक्टिव विकल्प (100% सरकारी प्रतिभूति)	केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।

ई-500, टॉवर-ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

दूरभाष: 91-11-40717900, वेबसाइट: www.pfrda.org.in

E-500, Tower-E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

Phone: 91-11-40717900, Website: www.pfrda.org.in

ऑटो विकल्प - लाइफ़ साइकल 25 - कम (5ई/55वाई)	अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 25% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 5% तक नहीं पहुँच जाता और जो निकास तक जारी रहता है।
ऑटो विकल्प - लाइफ़ साइकल 50 - मॉडरेट (10ई/55वाई)	अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 50% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 10% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है।

4. व्यय विभाग द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन फा.सं.1(3)/ईवी/2020 के अनुसरण में, निम्नलिखित दो अतिरिक्त ऑटो विकल्पों की शुरुआत की गई है :

एनपीएस के अंतर्गत अतिरिक्त निवेश चयन विकल्प	विवरण
ऑटो विकल्प - लाइफ़ साइकल 75 - हाई (15ई/55वाई)	अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 75% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 15% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है।
ऑटो विकल्प - लाइफ़ साइकल - अग्रेसिव (35ई/55वाई)	अभिदाता के 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 50% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 35% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है।

5. डिफॉल्ट योजना के अतिरिक्त किसी भी दूसरे निवेश चयन विकल्प को चुनने वाले अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा;

(क) उपर्युक्त पांच गैर-डिफॉल्ट निवेश विकल्पों में से एक का उपयोग करना, और

(ख) वर्तमान में पीएफआरडी के साथ पंजीकृत पेंशन निधियों में से एक पेंशन निधि का चयन करना।

6. अभिदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजनाओं और पेंशन निधियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, अपने निवेश चयन विकल्प का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। कार्य निष्पादन से संबंधित योजना-वार और पेंशन निधि-वार अद्यत जानकारी, एनपीएस न्यास की वेबसाइट (www.npstrust.org.in) पर उपलब्ध है, और तदनुसार संसूचित निर्णय लेने हेतु अभिदाताओं से आग्रह किया जाता है।

7. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14(2)(ख) और पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 14(1) के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय

(विकास कुमार सिंह)
मुख्य महाप्रबंधक



CIRCULAR

Circular No.: PFRDA/2026/39/SUP-CGSG/01

09.07.2026

To:
All NPS Stakeholders

Subject: Enhancement of Investment Choice Options under NPS for subscribers of Central Autonomous Bodies (CABs)

1. Pursuant to the Gazette Notification No. FX-4/2/2025-PR dated 13.11.2025 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, PFRDA through Circular No. PFRDA/2025/21/Reg-PF/03 dated 01.12.2025 had notified the expansion of the investment choice options for Central Government (CG) subscribers.
2. Similarly, in furtherance to Office Memorandum F.No. 1(3)/EV/2020 dated 01.07.2026 issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, PFRDA hereby notifies the expansion of the existing investment choice options under the NPS for subscribers of CABs. Two additional Auto Investment Choice options have been introduced, thereby increasing the total number of available choices for subscribers of CABs to six.
3. The following investment choices are currently available to CAB subscribers:

Existing Investment Choice under NPS	Description
Default Scheme	Contributions are invested as per a predefined asset allocation pattern managed by three Pension Funds.
Active Choice (100% G-Sec)	Investment solely in Government Securities.
Auto Choice – Life Cycle 25 - Low (5E/55Y)	The Subscriber's contribution is invested with the equity exposure of 25% until they reach 35 years and the equity allocation tapers subsequently till it reaches 5% at the age of 55 years which continues till exit.
Auto Choice – Life Cycle 50 – Moderate (10E/55Y)	The Subscriber's contribution is invested with the equity exposure of 50% until they reach 35 years and the equity allocation tapers subsequently till it reaches 10% at the age of 55 years which continues till exit.

4. In accordance with the Office Memorandum F.No. 1(3)/EV/2020 dt 1 July 2026 issued by the Department of Expenditure, the following two additional Auto Choice options are introduced:

Additional Investment Choice Options under NPS	Description
Auto Choice - Life Cycle 75 - High (15E/55Y)	The Subscriber's contribution is invested with the equity exposure of 75% until they reach 35 years and the equity allocation tapers subsequently till it reaches 15% at the age of 55 years which continues till exit.
Auto choice - Life Cycle - Aggressive (35E/55Y)	The Subscriber's contribution is invested with the equity exposure of 50% until they reach 45 years and the equity allocation tapers subsequently till it reaches 35% at the age of 55 years which continues till exit.

5. Subscribers opting for any alternative investment choice other than the Default Scheme shall be required to:
- (a) exercise one of the five non-default investment options as mentioned above, and
 - (b) select one Pension Fund from the Pension Funds currently registered with PFRDA.
6. Subscribers are advised to exercise their investment choice judiciously, based on a review of the performance of schemes and Pension Funds. Updated scheme-wise and PF-wise performance information is available on the NPS Trust website (www.npstrust.org.in), and subscribers are encouraged to make informed decisions.
7. This circular is issued in exercise of the powers conferred upon the Authority under Section 14(2)(b) read with Section 23 of the PFRDA Act, 2013, and Regulation 14(1) of the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015.

Yours sincerely

(Vikas Kumar Singh)
Chief General Manager